

**राजस्थान सरकार**  
**वित्त विभाग**  
**(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)**


क्रमांक : प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 पार्ट-11 जयपुर, दिनांक : 16.05.2013.  
परिपत्र संख्या: 11/2013

**अधिसूचना**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 59 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 86 के अन्तर्गत सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-11 के नियम 30 के अन्तर्गत दिये गये अनेकजर "A" के अधीन बिना निविदा के क्रय जो कि अधिनियम की धारा 6(2)(c) एवं उक्त नियमों के नियम 32 के अन्तर्गत प्रभावी हैं, उक्त Annexure के आइटम (xi) को राज्यपाल की आज्ञा से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है-

(xi)	<b>(a) Uniform:</b> All kinds of Terry-coat (or poly-cloth) Suitings, Shirtings, Sarees, Peticot cloth, Turban etc.(for uniform only)	1. Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh, R.S.H.D.C., Khadi Bhandar, N.T.C. 2. Amrita Society of Women and Child Development Department.
------	--	---


संबंधित विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त प्रावधानों का प्रयोग केवल जनहित में ही किया जाये तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हो।

  
(उर्मिला जोशी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति.मुख्य सचिव/ समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधीनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/समांगीय आयुक्त ।
11. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
12. समस्त कोषाधिकारी
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
14. कार्गिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
16. सिरटम एनालिस्ट, वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी